



## भारतीय उपोष्ण बागवानी संस्थान

रहमानखेड़ा, पो. काकोरी, लखनऊ-226 101 (भारत)

### ICAR-Central Institute For Subtropical Horticulture

Rehmankhera, P.O. Kakori, Lucknow-226 101 (India).

Phone (O)2841022, 2841023, 2841024; Fax 0522-2841025

Web Site [www.cish.res.in](http://www.cish.res.in); E-cish.lucknow@gmail.com



सं. 11-429/W/

दिनांक: 26.12.2018

सेवा में,

मेसर्से .....

.....  
.....

विषय: संस्थान के आर. बी. रोड कैम्पस स्थित आवासीय परिसर के क्वार्टरों की पुरानी लकड़ी की खिड़कियों को एल्युमिनियम विंडो से बदलने संबंधी निविदा आमंत्रण ।

महोदय ,

संस्थान के आर. बी. रोड कैम्पस स्थित आवासीय परिसर के क्वार्टरों की पुरानी लकड़ी की खिड़कियों को एल्युमिनियम विंडो से बदलने संबंधी कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको अपनी दरों को उद्धृत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सभी प्रासंगिक विवरण नीचे दिए गए हैं:

#### 1. निविदा की डिलीवरी

निविदाएं लिफाफे पर कार्य का नाम और निविदा खोलने की तिथि लिखकर मुहरबंद कवर में जमा की जानी चाहिए। निविदाएं 15.01.2019 तक 12:00 बजे तक या उससे पहले प्रशासनिक ब्लॉक में रखे निविदा / कोटेशन बॉक्स में पहुंचा दी जानी चाहिए। निविदाएं रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट के माध्यम से सहायक प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा, पोस्ट-काकोरी, लखनऊ - 226101 को भेजी जा सकती हैं। आप यह सुनिश्चित कर ले कि कोटेशन निर्धारित तारीख तथा समय से पूर्व कार्यालय में पहुंच जाए। निविदा किसी भी हालत में हाथ से प्राप्त नहीं की जाएगी। निविदाओं को विधिवत मुहरबंद और ऊपर निर्देशित पते पर भेजा जाना चाहिए। पोस्ट द्वारा भेजे गए निविदाओं की डाक में दो बोलियां लागू हैं। तकनीकी बोली (अनुलग्नक- I) और वित्तीय बोलियां (अनुलग्नक-V) अलग-अलग लिफाफे में जमा की जानी चाहिए।

निविदा दस्तावेज संस्थान की बेबसाइट [www.cish.res.in](http://www.cish.res.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

## **2. अग्रिम जमा राशि (ई एम डी)**

- (i) अग्रिम जमा राशि रु 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) आई सी ए आर यूनिट, सी आई एस एच, लखनऊ (ICAR Unit, CISH, Lucknow) के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में उल्लिखित आइटम के सापेक्ष संलग्न की जानी चाहिए जैसा कि निविदा में वर्णित है।
- (ii) यदि निविदा निर्धारित फार्म एवं अग्रिम जमा राशि (जहां आवश्यक हो) के बिना जमा कि जाती है, तो निविदा / कोटेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा और आगे मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा और बोली खारिज कर दी जाएगी।
- (iii) असफल बोलीदाता की अग्रिम जमा राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
- (iv) सफल बोली लगाने वाले की बोली राशि अनुबंध स्वीकारने/ हस्ताक्षर करने एवं निष्पादन राशि जमा करने पर वापस कर दी जाएगी।
- (v) सफल बोलीदाता की ईएमडी, निविदा स्वीकार करने के उपरांत किसी भी दशा में निविदा वापस लेने या नियमों का पालन न करने की स्थिति में जब्त कर ली जाएगी।

## **3. निष्पादन राशि (जमानत राशि )**

- (i) ठेकेदार जिसका निविदा स्वीकार की जाती है उसे काम शुरू होने से पहले या आदेश जारी करने के 15 दिन बाद, जो भी पहले हो, निविदा राशि के 10% की निष्पादन राशि गारंटी के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। गारंटी केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो "आईसीएआर यूनिट सीआईएसएच" लखनऊ को देय हो, स्वीकार की जाएगी।
- (ii) निदेशक, आईसीएआर-सीआईएसएच, लखनऊ के विवेकाधिकार पर निविदा की किसी भी शर्त को पूरा न करने पर निष्पादन राशि जब्त कर ली जाएगी।
- (iii) बिना किसी ब्याज के अनुबंध के पूरा होने के छह (6) महीने के बाद सुरक्षा राशि वापस कर दी जाएगी।

## **4 भुगतान प्राधिकरण (पेइंग अथॉरिटी)**

निदेशक, आई सी ए आर- सी आई एस एच, लखनऊ -226101

## **5. जुर्माना खंड**

- a) निर्धारित अवधि तक काम पूरा होने में देरी के मामले में, प्रति सप्ताह कार्य मूल्य के 0.5% की दर से जुर्माना, जो कि कार्य मूल्य का अधिकतम 10% है, लगाने के बाद अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा।
- b) काम के पूरा होने के बाद बचे हुए सामग्री आदि को ठेकेदार द्वारा हटा दी जाना चाहिए। ऐसी कोई सामग्री पाये जाने पर प्रति दिन रु 100 / - की दर से जुर्माना लिया जाएगा।
- c) दक्षता इस अनुबंध का सार है। ठेकेदार को उपरोक्त शर्तों पर निर्धारित सेवाएं प्रदान करना है और अनुबंध के तहत उनके द्वारा आवश्यक मानक को बनाए रखना है। ऐसी सेवाएं प्रदान करने में विफल होने पर ठेकेदार, निदेशक, आईसीएआर-सीआईएसएच को वास्तविक व्यय के समतुल्य राशि एवं 10% क्षतिपूर्ति राशि कटौती करने के लिए अधिकृत / अधिकृत करेगा, जो कार्य पूरा न करने पर/ या ठीक से न करने पर लगाया जाएगा।

## **6. विवाद हल करने की विधि**

यदि अनुबंध से जुड़े किसी भी मामले से संबंधित खरीदार और आपूर्तिकर्ता के बीच कोई विवाद या अंतर उत्पन्न होता है तो पार्टियां पारस्परिक चर्चाओं के द्वारा विवाद हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। हालांकि यदि पार्टियां 30 दिनों के भीतर इस तरह की आपसी चर्चाओं द्वारा विवाद या अंतर को हल करने में

असफल होती हैं, तो खरीदार या आपूर्तिकर्ता मध्यस्थता के संदर्भ में दूसरी पार्टी को नोटिस दे सकता है। उसके बाद मध्यस्थता शुरू होगी। मध्यस्थता एकमात्र मध्यस्थ द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसे सचिव, आईसीएआर द्वारा नियुक्त किया जाएगा और इस संबंध में पालन की जाने वाली प्रक्रिया भारतीय मध्यस्थता और समझौता अधिनियम, 1996 के अनुसार होगी। मध्यस्थता का स्थान वह स्थान होगा जहां अनुबंध जारी किया गया है।

## 7. गलत सूचना

यदि निविदाकार जानबूझकर किसी भी गलत जानकारी देते हैं या सही तथ्य दबाने / मिथ्या तथ्यों को देते हैं या इस निविदा में झूठे प्रतिनिधित्व करते हैं / अपने निविदा की स्वीकृति के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाते हैं, तो आईसीएआर-सीआईएसएच को इस तरह की निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी स्तर पर निविदा या निविदाकार / निविदाकारों के जोखिम और लागत पर निविदा की स्वीकृति के बाद भी आदेश रद्द किया जा सकता है।

## 8 कार्य आवंटन

आईसीएआर-सीआईएसएच द्वारा सफल निविदाकार को पत्र / ईमेल के माध्यम से समय पर सूचित किया जाएगा, कि उसका निविदा स्वीकार कर लिया गया है।

## 9. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

1. इस निविदा में दो बोली प्रणाली सम्मिलित है – वित्तीय बोली तथा तकनीकी बोली। दोनों ही बोलियाँ अलग-अलग मोहरबन्द लिफाफों में प्रेषित की जानी चाहिए जिनके ऊपर स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए। वित्तीय बोलियाँ उन्हीं निविदाकारों की खोली जाएगी जिनकी तकनीकी बोली अर्हता प्राप्त करेंगी।
2. संलग्नक। में तकनीकी बोली में शामिल किए जाने वाले मानकों की लिस्ट दी गयी है। निर्धारित मानकों के क्वालीफाई करने पर फर्म की वित्तीय बोली पर विचार किया जाएगा।
3. फर्म/पार्टी जो वेबसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर उद्धरित करेंगे तथा रूपये दस हज़ार मात्र की अग्रदाय राशि डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में आई.सी.ए.आर. यूनिट सी.आई.एस. एच, लखनऊ ( **ICAR Unit, CISH, Lucknow**) के नाम देय होगी, जमा की जाएगी। अग्रदाय राशि का विवरण लिफाफे के ऊपर लिखित होगा। इसमें ड्राफ्ट आर्डर संख्या तथा तारीख इंगित होगी। यदि निविदा के साथ अग्रदाय राशि जमा नहीं कराई जाती है तो निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
4. निविदाकार को निविदा यह विचार कर जमा करनी चाहिए कि जमा करने के पश्चात् निविदा के प्रति उसका लचीला रूप नहीं होगा या वह नियम एवं शर्तों में संशोधन नहीं चाहेगा। यदि निविदाकार उद्धरित राशि का अवलोकन एवं अनुपालन करने में विफल होता है तो संस्थान ई.एम.डी. राशि जब्त कर लेगी। यदि निविदाकार द्वारा दिया गया प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता है तो संस्थान द्वारा निविदाकार को जमा की गयी अग्रदाय राशि वापस कर दी जायेगी।
5. निविदा प्रारूप की सूची पूर्ण रूप से वापस / जमा करनी होगी तथा उसका कोई भी पेज अलग नहीं किया होना चाहिये। यदि अपेक्षित उद्देश्य से संबंधित अनुसूची में दी गयी जगह

अपर्याप्त हो रही हो तो अतिरिक्त पन्ने लगाये जा सकते हैं। प्रत्येक अतिरिक्त पन्ने पर पृष्ठ संख्या क्रमागत रूप अंकित करनी चाहिये तथा निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित भी होनी चाहिये। इन मामलों में अतिरिक्त पृष्ठों संबंधित संदर्भ का वर्णन निविदा प्रारूप में किया जाना चाहिये। यदि सूची में कोई परिवर्तन आवश्यक महसूस किया जाए तो उसको एक अलग पत्र पर निविदा के साथ संप्रेषित किया जाना होगा। यदि संविदाकार द्वारा उद्धरित दरों पर ओवर राइटिंग किया गया है या उसको मिटाया गया है तो संविदा नामंजूर कर दी जाएगी।

6. यदि प्रारूप में अपेक्षित सूचना पूर्ण रूप से नहीं दी जाती है या संविदा की सूचियों में माँगे व्यारे को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो संविदा को अनदेखा किया जा सकता है। अनुबंध से संबंधित संविदा या अन्य दस्तावेजों पर जिसे व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया है उन्हें स्पष्ट करना होगा कि वे किस क्षमता में हस्ताक्षर कर रहे हैं। i). फर्म के एक मात्र प्रोपराइटर के रूप में या एक मात्र मालिक की कांस्टीट्यूटेड पार्टी के रूप में। ii). यदि फर्म पार्टनरशिप में हो तो फर्म के पार्टनर के रूप में। ऐसा तभी किया जाये जब पार्टनर के पास साझेदारी वाले व्यापार में विवाद होने पर विवादक के पास मामले को प्रेषित करने का प्राधिकार हो। iii). यदि यह एक कंपनी है तो फर्म के कांस्टीट्यूटेड अटर्नी होने की स्थिति में।

7. यदि सी.आई.एस.एच द्वारा कार्य अवार्ड किये जाने के 15 दिनों के अन्दर संविदाकार ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो ऑफर को वापस ले लिया जायेगा तथा अग्रदाय राशि जब्त कर ली जायेगी।

8. फर्म यदि साझेदारी में है तथा साझेदारी के व्यवसाय संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर विवायक के पास जाने का प्राधिकार किसी के पास नहीं हो तो निविदाओं तथा फर्म के अन्य सभी दस्तावेजों पर फर्म के पार्टनरों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति निविदा या किसी ठेका से संबंधित अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है तो किसी अन्य के बदले में तो इसे वारंटी मानी जायेगी कि उस व्यक्ति के पास ऐसा करने का प्राधिकार होगा तथा यदि जाँच के दौरान ऐसा पाया जाता है कि उस व्यक्ति/उन व्यक्तियों के पास ऐसा करने का कोई प्राधिकार होगा तो परिषद अन्य सिविल तथा क्रिमिनल रेमेडीज को संज्ञान में लाये हुए संविदा को रद्द कर देगा तथा हस्ताक्षरकर्ता को सभी लागतों तथा क्षतियों के लिए जिम्मेदार ठहराएगी। निविदा तथा निविदाओं की सूचियों तथा संलग्नकों के प्रत्येक पृष्ठ को निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित करना होगा।

9. निविदाओं की मूलप्रति को दो कवरों में अनुलग्न करना होगा। अंदर का कवर सील बंद होना चाहिये। बाहरी कवर पर निविदाकार के कार्यालय का पता एवं 'सी.आई.एस.एच. आर. बी. रोड कैम्पस स्थित आवासीय परिसर के क्वार्टरों की पुरानी लकड़ी की खिड़कियों को एल्युमिनियम विंडो से बदलने संबंधी निविदा लिखा होना चाहिये। तकनीकी बोली, वित्तीय बोली तथा मुख्य लिफाफा अलग-अलग होना चाहिये। सभी निविदाएँ पंजीकृत पोस्ट/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित की जानी चाहिये। दस्ती रूप से भेजे गये निविदाओं को केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ के सहा. प्रशासनिक अधिकारी के कक्ष में रखे हुये निविदा बॉक्स में डालना होगा।

10. निविदाओं के खुलने के समय निविदाकार को यह स्वतंत्रता होगी कि वह स्वयं उपस्थित रहें या किसी अन्य प्रतिनिधि को प्राधिकृत कर दें। निविदाओं में उपस्थित होने वाले निविदाकारों के नाम तथा पता अनिवार्य रूप से उद्धरित करे यदि कोई नियमित प्रतिनिधि हो तो उसका नाम भी उद्धरित करें।

11. संस्थान न्यूनतम राशि वाले निविदा को मानने के लिये बाध्य नहीं है । संस्थान के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह निविदा को संपूर्ण रूप से या खण्डों में स्वीकार करे । निविदाकार के पास यह स्वतंत्रता है कि वह पूरे क्षेत्र के लिये या किसी एक हिस्से के लिये निविदा दायर करे । इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रकार के शर्तबंद निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

12. निविदाकार को संस्थान की ओर से सिविल / निर्माण कार्य से संबंधित सुरक्षा जमा राशि तथा अग्रदाय राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा ।

13. भारत सरकार के नियमों के अनुसार यदि संविदाकार को कोई कर यथा वस्तु एवं सेवा कर या सामग्री/सेवा पर कोई अन्य कर निविदा से संबंधित देना हो तो उसे स्वयं ही देना होगा तथा संस्थान इससे संबंधित किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं करेगा । इनकम टैक्स या उत्तर प्रदेश सरकार का कोई अन्य कर एजेन्सी द्वारा स्वयं ही संबंधित विभागों को दिया जायेगा । संस्थान द्वारा सफल निविदाकार के बिलों से नियमों/अनुदेशों के अनुसार टी.डी.एस. काटा जायेगा । यदि आवश्यकता होगी तो फॉर्म 16 जारी किया जायेगा ।

14. सी.आई.एस.एच. के निदेशक के पास न्यायसंगत कारणों से संस्थान के हित में संविदा की अवधि कम करने या समाप्त करने या बढ़ाने का अधिकार है जिसकी सूचना निविदाकार को दे दी जायेगी ।

15. संस्थान द्वारा स्वीकृति को फैक्स या संचार के किसी अन्य माध्यम के द्वारा बताया जायेगा । निविदा से संबंधित औपचारिक स्वीकृति पत्र तथा कार्य का आदेश भी शीघ्र अप्रेषित की जायेगी किन्तु फैक्स, पत्र आदि से प्रेषित अनुदेशों का तत्काल पालन करना होगा ।

16. संस्थान में जनसूचना कानून अधिनियम 2005 लागू है । अतः जो भी सूचना उपलब्ध करायी जाएगी उसको प्रकट किया जा सकता है ।

17. सफल बोली लगाने वाले निविदाकार को संस्थान को सेवा उपलब्ध कराते समय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बाल श्रमिक अधिनियम तथा श्रम अधिनियम के सभी उपबंधों का पालन करना होगा ।

18. सफल निविदाकार को 100 रूपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर सी.आई.एस.एच. से विस्तृत ठेका करार करना होगा ।

19. 100 रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर समझौता, निष्पादन सुरक्षा राशि का जमा किया जाना (10 प्रतिशत कुल ठेका मूल्य का) जैसी औपचारिकताये पूर्ण करने पश्चात् ही कार्य प्रारंभ करना होगा ।

20. निविदाकार जिसका निविदा स्वीकार की जाती है उसे कार्य आदेश जारी करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अनुबंध दस्तावेजों को निष्पादित करने की आवश्यकता होगी । इसके बाद ठेकेदार नियत समय सीमा में कार्यों को पूरा करने के लिए तत्परता के साथ काम करेगा ।

21. निविदा दस्तावेज में निर्धारित समय सीमा का पालन करेगा ।

22. निविदाकार टाइपिंग या किसी अन्य त्रुटि / त्रुटियों के कारण शर्तों की गलत व्याख्या का लाभ नहीं उठाएगा और यदि कोई संदेह है, तो यह आईसीएआर-सीआईएसएच के नोटिस में लायी जाएंगी ।

23. ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों कर शामिल कर होनी चाहिए । उद्धृत दरों के अतिरिक्त अन्य भुगतान ठेकेदार को नहीं किया जाएगा । उद्धृत दरों को निविदा खोलने की तारीख से 90 दिनों के लिए वैध होना चाहिए ।

24. भुगतान कार्य के सफल समापन के बाद ही किया जाएगा। ठेकेदार को काम पूरा होने के 15 दिनों के अंदर और अंतिम बिल जमा करना करने होंगे।

25. पार्ट भुगतान या रनिंग बिल स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

26. कार्य पूरा होने पर ठेकेदार, संस्थान कार्यालय (कार्य) द्वारा नामित अधिकारी को कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और, उक्त अधिकारी यह प्रमाणित करेगा कि कार्य संतोषजनक रूप से संपादित किया गया है। लेकिन यह प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि फर्म द्वारा परिसर से सभी कचरा, अधिशेष सामग्री, सभी मचान आदि हटा न लिया जाए। ठेकेदार द्वारा अग्रेषित बिल को ऊपर वर्णित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही भुगतान के योग्य माना जाएगा।

27. सामान्य रूप से, सभी कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री को आई एस आई मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। निर्माण में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री नवीनतम आईएस विनिर्देशों के अनुसार होनी चाहिए।

28. अनुसूची में प्रत्येक आइटम के लिए विस्तृत विनिर्देश देने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है; हालांकि, जहां भी आईसीएआर-सीआईएसएच द्वारा वर्णित विनिर्देश पर्याप्त नहीं हैं, कार्य सी पी डब्ल्यू डी के नवीनतम तकनीकी विनिर्देश के अनुसार किया जाना चाहिए।

29. सफल निविदाकार को सीमेंट, रेत, पानी, बिजली इत्यादि जैसे काम के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए अपनी व्यवस्था करनी चाहिए।

30. सभी कार्यों के लिए 53 ग्रेड सीमेंट (अंबुजा / बिडला / एलएंडटी इत्यादि) का उपयोग किया जाता है।

31. दोषपूर्ण काम किसी भी स्तर पर खारिज कर दिया जा सकता है। ठेकेदार किसी भी कारण कार्य करने से यह कहकर मना नहीं कर सकते या दोषों को सुधारने से इनकार कर सकते हैं कि कार्य सम्पन्न कर दिया गया है। इस तरह के सुधार के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

32. यदि काम के किसी विशेष हिस्से की प्रगति असंतोषजनक है, तो निदेशक आईसीएआर-सीआईएसएच 10 दिन का लिखित नोटिस देने के उपरांत ठेकेदार पर कार्रवाई करने के हकदार होगा। इस तरह की कार्रवाई के कारण उसके द्वारा हुये किसी भी नुकसान के लिए ठेकेदार मुआवजे के लिए कोई दावा नहीं कर सकता।

33. यदि आईसीएआर-सीआईएसएच परिसर से पानी और बिजली का उपयोग किया जाना आवश्यक है, तो ठेकेदार को इसे लिखित में अनुमति लेनी होगा, जिसके लिए प्रासंगिक सीपीडब्ल्यूडी नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क ठेकेदार के बिल से घटाया जाएगा (यथा पानी का 1% सभी पानी-सीमेंट इटेम्स के लिए और विद्युत कार्य के बिजली का सब-मीटर लगाया जाएगा और निर्धारित दर से भुगतान करना होगा)।

34. काम पर इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्रियों को वकर्स-इन-चार्ज से अग्रिम में अनुमोदित कराया जाएगा और परीक्षण निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए;

(i) वस्तुओं के निर्धारित मानकों के अनुरूप।

(ii) I.S.I. निर्धारित मानकों के अनुरूप।

(iii) यदि मेटेरियल के नमूने के परीक्षण की आवश्यकता हो तो लागत ठेकेदार उपलब्ध कराएगा।

(iv) ठेकेदार सामग्री के परीक्षण के परिणामस्वरूप काम में हुई देरी या परीक्षण के कारण किसी भी सुधारात्मक उपाय के लिए किसी भी दावे या मुआवजे के लिए योग्य नहीं होगा।

35. वर्क्स-इन-चार्ज की लिखित अनुमति के बिना कोई अतिरिक्त काम नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त काम के अलावा कोई अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा। अगर ठेकेदार बिना किसी लिखित आदेश के कोई अतिरिक्त काम निष्पादित करता है तो आईसीएआर-सीआईएसएच जिम्मेदार नहीं होगा।

36 (i). वर्क्स-इन-चार्ज के लिखित में पूर्व अनुमति के बिना रविवार और अन्य छुट्टियों पर कोई काम नहीं किया जाएगा।

(ii). कोई ठेकेदार यदि इन शर्तों को स्वीकार नहीं करता है उसे कार्यों के लिए निविदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii). ठेकेदार अनुबंध किसी अन्य को स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं।

(iv) यदि ठेकेदार काम के शुरू होने के दस दिन से अधिक समय के लिए अपने निजी कारणों , वित्तीय आधार इत्यादि के कारण काम बंद कर देता है , तो आईसीएआर-सीआईएसएच के सक्षम प्राधिकारी इसके लिए ठेकेदार को नोटिस जारी कर सकते हैं। ठेकेदार को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर काम शुरू करना पड़ेगा, जिसमें विफल होने पर अनुबंध समाप्त हो जाएगा , और उक्त लागत पर किसी अन्य पार्टी द्वारा कार्यों को निष्पादित कराया जाएगा। निदेशक, आईसीएआर-सीआईएसएच, लखनऊ का निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा।

(v) यदि बोलियां जमा करने के बाद कोई वैधानिक नियम या उप-कानून लागू होते हैं , जो अनुबंध के निष्पादन में ठेकेदार को अतिरिक्त या कम लागत का कारण बनता है , ऐसी अतिरिक्त या कम लागत (जो लागत सूचकांक में शामिल हैं) अनुबंध मूल्य से जोड़ा या घटाया जा सकता है ।

आपका विश्वासी

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
निदेशक सी.आई.एस.एच. लखनऊ की ओर से

निविदा आमंत्रण हेतु नोटिस

निदेशक, आईसीएआर-सीआईएसएच, लखनऊ द्वारा सचिव आईसीएआर , कृषि भवन, नई दिल्ली की तरफ से सीपीडब्ल्यूडी / एमईएस / पीडब्ल्यूडी / लोक निर्माण संगठनों के साथ सूचीबद्ध फार्मों और योग्य ठेकेदार से दो बोली प्रारूप निम्न कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

**महत्वपूर्ण**

निविदा दो बोलीय प्रणाली की होगी – वित्तीय बोली तथा तकनीकी बोली। दोनों बोलियों को अलग-अलग सील बंद लिफाफों में जिनके ऊपर वित्तीय बोली एवं तकनीकी बोली स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये प्रेषित करें। उन्हीं निविदाकारों की वित्तीय बोली खोली जायेगी जिनकी बोली तकनीकी अर्हताओं को पूरा करेगी।

**कार्यस्थल:** केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, आर. बी. रोड कैम्पस, लखनऊ

**कार्य का विवरण**

क्र. सं.	कार्य का नाम	ईएमडी (रुपये में)	कार्य पूरा करने का समय (दिन)
1.	संस्थान के आर. बी. रोड कैम्पस स्थित आवासीय परिसर के क्वार्टरों की पुरानी लकड़ी की खिड़कियों को एल्युमिनियम विंडो से बदलने संबंधी कार्य ।	10,000/-	कार्य अवार्ड होने की तारीख से 30 दिन

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

निदेशक सी.आई.एस.एच. लखनऊ की ओर से

## बोली दस्तावेज संरचना

1. बोली दस्तावेज में निम्न शामिल हैं:

- i. बोली दिशानिर्देश (निविदा सूचना, विस्तृत दिशानिर्देश)
- ii. अनुलग्नक-I, II, III, IV & V, बोलीदाता द्वारा पूरा किया जाएगा ।

2. अनुसूची

निविदा दस्तावेजों उपलब्धता की तिथि और समय -	26.12.2018 - 10.30AM
निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने की अंतिम तिथि और समय: -	14.01.2019 तक 16.00 बजे तक।
निविदा दस्तावेज की प्राप्ति करने की अंतिम तिथि और समय: -	15.01.2019 12.00 बजे तक।
तकनीकी बोली खुलने की तिथि :	15.01.2019 अपराह्न 3:00 बजे तक
वित्तीय बोली खुलने की तिथि :	17.01.2019 पूर्वाह्न 11:00 बजे

निविदाकार प्रतिनिधि निम्न कार्यक्रम का अनुपालन सुनिश्चित करें।

3. प्रमुख दस्तावेज़ और अनुपालन जांच सूची:

(मुहरबंद लिफाफा में निम्नलिखित शामिल होंगे)

क्र. सं.	जांच सूची	विवरण
1	निविदाकार का कवर पत्र	
2	<u>अग्रदाय राशि रु 10,000/-</u> का विवरण (डी डी संख्या, बैंक का नाम व दिनांक)	
3	PAN/TIN विवरण	
4	आयकर विभाग द्वारा जारी विगत तीन वर्षों का आयकर जमा प्रमाण पत्र	
5	पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीपीडब्ल्यूडी / पीडब्ल्यूडी / एमईएस / बीएसएनएल / कोई अन्य सरकारी, विभाग)।	
6	अनुभव प्रमाणपत्र	
7	कंपनी के कार्यालय /संगठन कार्यालय का पता ,टेलीफोन, फैक्स, ई-मेल, कंप्यूटर, आदि की जानकारी	
8	काम के लिए जारी निविदा दस्तावेज के पूर्ण सेट से कोई पृष्ठ हटाया या जोड़ा नहीं जाएगा ।	
9	सभी पृष्ठों पर मुहर के साथ हस्ताक्षर	
10	अनुलग्नक I, II, III, IV और V	
11	एक बड़े लिफाफा के अंदर तकनीकी और वित्तीय बोली, को अलग- अलग लिफाफा में रखकर जमा किया जाना है ।	

निविदाकार का हस्ताक्षर तथा सील तिथि सहित

केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के आर. बी. रोड कैम्पस स्थित आवासीय परिसर के क्वार्टरों की पुरानी लकड़ी की खिड़कियों को एल्युमिनियम विंडो से बदलने संबंधी निविदा

पूरा नाम तथा निविदादाता का पता पोस्ट बॉक्स संख्या सहित (यदि कोई पोस्ट बॉक्स संख्या है तो कार्यालय से किये गये सभी संचार में उसको उद्धरित किया जाना चाहिये)

---

फोन नं.:

टेलीग्राफिक पता / फैक्स / मो.नं.:

ई-मेल का पता:

---

प्रेषक

.....  
.....  
.....

सेवा में

भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान

रहमानखेड़ा पोस्ट काकोरी, लखनऊ 226101

महोदय,

मैंने/हमने केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ के आर. बी. रोड कैम्पस स्थित आवासीय परिसर के क्वार्टरों की पुरानी लकड़ी की खिड़कियों को एल्युमिनियम विंडो से बदलने संबंधी निविदा से संबंधित सामान्य सूचना तथा अन्य नियम एवं शर्तों के ब्योरों को पढ़ा है तथा अनुसूची में दिये गये विस्तृत सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिये तैयार है।

1. मैं/हम लिखित समय में प्रेषित किये गये संचार से स्वीकृति के लिये बाध्य होंगे।
2. मैं/हमने संविदा से संबंधी नियम एवं शर्तों को समझ लिया है तथा इन अपेक्षाओं के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सेवा उपलब्ध करायेंगे।
3. इस निविदा के प्रारूप में निम्नलिखित पृष्ठों को जोड़ा गया है। अनुसूची एक तथा दो जो इस निविदा के साथ संलग्न है को पृष्ठ संख्या ..... में जोड़ा गया है।
4. इस निविदा से संबंधित सभी पृष्ठों पर मेरा हस्ताक्षर तथा कार्यालय का मोहर विद्यमान है।
5. आई.सी.ए.आर यूनिट सी.आई.एस.एच लखनऊ को देय रु0 **10,000/-** का डी.डी नं0 ..... को बयाना राशि के रूप में अनुलग्न किया गया है।

दिनांक:.....

आपका विश्वासी

निविदाकार का हस्ताक्षर तथा सील

### तकनीकी बोली दस्तावेज़

निम्नलिखित दस्तावेजों को मोहरबन्द लिफाफे में तकनीकी बोली के साथ अनुलग्न किए जाने की आवश्यकता है।

1. फर्म का पंजीकरण उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार कार्य ठेका के अन्तर्गत होना चाहिए।
2. विगत वर्षों का फर्म का अनुभव संबंधित सेवाओं में भारत सरकार के संगठनों /भारत सरकार के स्वायत्त सेवाओं/प्रतिष्ठित सरकारी एवं निजी संस्थाओं की होनी चाहिए जिनका व्योरा टैब्युल रूप से अनुलग्न होना चाहिए।
3. आयकर विभाग द्वारा जारी विगत तीन वर्षों का आयकर जमा प्रमाण पत्र
4. पंजीकरण प्रमाण पत्र कोई अन्य सरकारी / बीएसएनएल / एमईएस / पीडब्ल्यूडी / सीपीडब्ल्यूडी), विभाग।(
5. PAN/TIN से संबन्धित दस्तावेज़ ।
6. निविदाकार द्वारा घोषित किया जाना आवश्यक है कि क्या फर्म के विरुद्ध पी.एफ./ई.एस.आई. के उल्लंघन से संबंधी कोई कानूनी/आपराधिक मामला विचारार्थ है। फर्म/एजेन्सी को प्रमाण पत्र अनुलग्न करना होगा कि एजेन्सी के विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

## संलग्नक II

सेवा में,

निदेशक ,

भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान  
रहमानखेड़ा पोस्ट काकोरी, लखनऊ 226101  
लखनऊ

विषय : आईसीएआर-सीआईएसएच में रिश्तेदार/ संबंधी घोषणा।

मैं / हम इस प्रकार घोषणा करते हैं कि आईसीएआर-सीआईएसएच, लखनऊ में किसी भी पद पर सेवारत कर्मचारी से मेरा/ हमारा कोई संबंध नहीं है। मेरे रिश्तेदारों के विवरण इस प्रकार हैं: -

क्र. सं	रिश्तेदार/ संबंधी का नाम
	केवल रिश्तेदार कार्यरत होने के केस में भरा जाए अन्यथा लागू नहीं है लिखा जाए ।

दिनांक:.....

निविदाकार का हस्ताक्षर तथा सील

### संलग्नक III

#### अनुभव सबधी प्रपत्र पिछले वर्षों के अनुभव/किये गये कार्यों का विवरण

क्र.सं.	विभाग/संगठन का नाम तथा संपर्क किये जाने वाले व्यक्ति का नाम फोन नं. सहित	अवधि	कराये गये कार्य का विवरण एवं राशि	अभ्युक्ति
		से	तक	

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

## निविदाओं की अनुसूची

### **भाग – 1**

1. फर्म/एजेंसी का नाम
2. पोस्ट बॉक्स नं तथा टेलीफोन नं. यदि कोई हो के साथ पूरा पता
3. फर्म/एजेंसी का संगठन (संलग्न प्रतिलिपि)
  - क) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956
  - ख) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932
    - (कृपया भागीदारों के नाम दे)
  - ग) किसी अन्य अधिनियम, अगर नहीं, मालिकों
4. साझेदारी फर्म जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत किये गये हैं। कृपया वर्णन करें कि क्या निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले साझेदारी समझौता साथी को जानकारी दी है ?
  - i) यदि ऊपर का जवाब नकारात्मक है तो क्या सभी भागीदारों द्वारा किसी साझेदारी को जिसने निविदा पर हस्ताक्षर किये हैं को मुख्तारनामा की सामान्य शक्तियों दी गयी हैं ताकि विवाद की स्थिति में विवाचन के लिये विचारार्थ भेज सके ।
  - ii) ऊपर का जवाब यदि बिंदु एक और दो में है तो हस्ताक्षरकर्ता साझेदारी समझौता या मुख्तारनामा की सामान्य शक्तियों की एक प्रति प्रस्तुत करे। साझेदारी समझौते की प्रतिलिपि नोटरी द्वारा सत्यापित की हुई होनी चाहिए या इसके सभी साझेदारों द्वारा मुहर लगी कागज पर शपथ पत्र के साथ निष्पादन किया हुआ होना चाहिए।
- 5 भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आदेश संख्या 1 (1)/2011/टी.ए./292 दिनांक 31.03.2012 के अनुसार 25,000.00 रुपये से अधिक के लिए ई—भुगतान अनिवार्य है। इसलिए सफल निविदाता को बिल के साथ अपना बैंक विवरण संलग्न करना होगा ।
6. अपने स्थायी आयकर (पैन) संख्या/सर्किल/वार्ड
7. कोई भी अन्य प्रासंगिक जानकारी
8. सेवा कर पंजीकरण सं.
9. टिन नं

### **भाग – 2**

- 10 बयाना पैसे जमा : हाँ / नहीं
11. नाम और फर्म के प्रतिनिधि का पता और क्या फर्म में प्रतिनिधित्व निविदाएं खोलने के समय उपलब्ध होंगे।

दिनांक :-----

स्थान :-----

**अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**

कृपया अनुपूरक पृष्ठों को जोड़ें जहाँ भी निविदाकर्ता द्वारा जरूरत समझा जाये।

### वित्तीय बोली

तकनीकी बोली खुलने की तिथि : 15.01.2019 अपराह्न 3:00 बजे

वित्तीय बोली खुलने की तिथि : 17.01.2019 पूर्वाह्न 11:00 बजे

सेवा में ,

#### निदेशक

भा.कृ.अनु.प.—केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान,

रहमानखेड़ा, पोस्ट काकोरी,

लखनऊ — 226 101 (उत्तर प्रदेश)

महोदय,

मैं/हम केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के आर. बी. रोड कैम्पस स्थित आवासीय परिसर के क्वार्टरों की पुरानी लकड़ी की खिड़कियों को एल्युमिनियम विंडो से बदलने संबंधी कार्य से सम्बंधित संविदा के लिए निर्धारित दर पर आवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

S. No.	Items	Unit	Rate	Qty	Total
भूतल . दो मंजिल	<b>Details/ Measurement of windows</b>				
Type – I	35' x 47" x 2 no.	6 Quarters	137.08 sft	Double leaf	
	35.5" x 47"x 1 no.	6 Quarters	69.52 sft	Double leaf	
	35" x 41" x 2 nos.	6 Quarters	119.58 sft	Double leaf	
	18" x 18" x 1 no.	6 Quarters	13.50 sft	Single leaf	
	17" x 35" x 1 no.	6 Quarters	24.79 sft	Single leaf	
	Total		<b>364.47 sft</b>		
Type- II	56" x 46.5"	6 Quarters	108.50 sft	Double leaf	
	14" x 46.5"	6 Quarters	27.13 sft	Single leaf	
	46.5" x 35"	6 Quarters	67.81 sft	Double leaf	
	47" x 35"	6 Quarters	68.41 sft	Double leaf	
	40.50" x 34.75"	6 Quarters	58.64 sft	Double leaf	
	23.50" x 14.25"	6 Quarters	13.95 sft		
	23.5 x 24"	6 Quarters	23.50 sft		
	Total		<b>391.44 sft</b>		
Type – III	46.5" x 53' x 1 no.	6 Quarters	102.64 sft		
	46" x 14" x 2 no.	6 Quarters	53.66 sft		
	46" x 35" x 1 no.	6 Quarters	67.08 sft		
	46" x 52.5" x 1 no.	6 Quarters	100.62 sft		
	41.75" x 34.50"x 1 no.	6 Quarters	60.02 sft		
	14" x 22.50" x 1 no.	6 Quarters	13.13 sft		
	23" x 23" x 1 no.	6 Quarters	22.04 sft		
	23" x 35" x 1 no.	6 Quarters	33.54 sft		
	Total		<b>452.73 sft</b>		

Type- IV	36" x 40' x 5 no.	2 Quarters	100.00 sft	Double leaf			
	24" x 40" x 2 no.	2 Quarters	26.66 sft	Single leaf			
	24" x 15" x 1 no.	2 Quarters	5.0 sft	Single leaf			
	24" x 24" x 1 no.	2 Quarters	8.0 sft	Single leaf			
	16" x 40"x 1 no.	2 Quarters	8.88 sft	Single leaf			
	36" x 42" x 1 no.	2 Quarters	21.0 sft	Double leaf			
Total			<b>169.54 sft</b>				
<b>Grand Total</b>			<b>1354.68 sft</b>				

Note-

- पल्ले बदलने के कार्य में भूतल एवं अतिरिक्त दो मंजिल पर कार्य करना है। पल्ले लगाने हेतु ऊपर की मंजिलों में कार्य करने हेतु ठेकेदार को स्वयं व्यवस्था करनी होगी तथा फर्मे कोट करने से पहले स्थल का निरीक्षण अवध्यक कर ले।
- उपरोक्त कार्य के लिए उच्च गुणवत्ता (ISI Mark) के सामानों को प्रयोग में लाया जाएगा।

**कुल राशि (शब्दों में) .....**

मैं/हम सहमत हैं कि यदि निविदा प्रपत्र में दिए हुए नियम एवं शर्तों को पूरी तरह या आंशिक रूप से पूरा नहीं करता/करते हैं तो बयाना जब्त कर लिया जाये।

मैंने/हमने **नियम** एवं शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है तथा उनसे अक्षरशः सहमत हैं।

निविदाकार का हस्ताक्षर तथा सील तिथि सहित